अंक ६१

नई दिल्ली, मार्च २०१५

महिला विशेषांक
[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'पुलिस संगठन में महिला पुलिस का योगदान'

श्रीमति तिलोत्तमा वर्मा
ए.डी.जी. उत्तर प्रदेश पुलिस

मार्च २०१५ के इस अंक को हम पाठकों के लिए *महिला विशेषांक* के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए इस अंक के सभी लेख, समाचार, आँकड़े और साक्षात्कार भी महिलाओं से संबंधित है।

साक्षात्कार के खंड में भी, उत्तर प्रदेश पुलिस से एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) की कार्यकारी निदेशक से महिला पुलिस से जुड़े दो भिन्न मुद्दों पर ज़ीनत मलिक द्वारा लिये गये साक्षात्कार को एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है आपको यह शैली पसंद आएगी।

'पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और प्रतिकूल आंतरिक वातावरण'

श्रीमति माया दारूवाला
कार्यकारी निदेशक, सी.एच.आर.आई.

क्या आपको लगता है कि पुलिसिंग के सामान्य वातावरण में महिला पुलिस कोई विशेष गुणवत्ता ला सकी हैं? यदि 'हाँ', वह कौन से साकारात्मक बदलाव हैं?

किसी भी समाज में महिला पुलिस, पुलिस बल का एक विशेष अंग है, यदि वह महिलाओं को समान न्याय दिलाने में विश्वास करता है और जहाँ वह जनसंख्या का तकरीबन ५०% हैं। हमारा संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जीवन के हर पहलू में समानता प्रदान करता है। यह विधि के समक्ष समानता और समान विधिक संरक्षण की बात करता है। फिर भी, समाज में असमानता व्याप्त है, महिलाएं कमज़ोर होने के कारण प्रताड़ना, हिंसा और शोषण का शिकार अपने घरों और बाहर, दोनों स्थानों पर होती हैं। महिलाओं के विरुद्ध शोषण संबंधित कुछ विशेष अपराधों जैसे – बलात्कार, यौन प्रताड़ना, तेज़ाब से हमला, स्टॉकिंग, घरों में क्रूरता आदि जैसे केसों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, अधिक महिलाओं की बल में भर्ती की जा रही है, महिला थानों की स्थापना हो रही है, महिला अधिकारियों द्वारा संचालित और मॉनिटर किये जाने वाले विशेष महिला हेल्पलाईनों की स्थापना की जा रही है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि महिला शोषण के केसों को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित महिला अधिकारियों द्वारा निपटाया जा सकता है, क्योंकि शोषित और भयभीत महिलाएं उन्हीं के समक्ष अपनी बात सबसे अच्छे तरीके से रख सकती हैं। भारतीय समाज में आज भी ऐसी सभ्यता है जहां महिलाएं घरों से बाहर पुरुषों से खुलकर बातचीत नहीं करती हैं। इसलिए, महिला पुलिस इन पीड़ितों तक पहुंचने में एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। आँकड़े दर्शाते हैं कि महिला हेल्पलाईनों का उपयोग अधिक से अधिक महिलाओं द्वारा न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा रहा है।

इसके अलावा महिलाएं अपनी उपस्थिति हवाई अड्डों, बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों, मेट्रो, गलियों में गश्त लगाकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और इस प्रकार महिलाओं के विश्वास को मज़बूत करने में सहायता कर रही हैं और घरों तथा उन्हें कार्य स्थलों पर अधिक सुरक्षित महसूस करा रही हैं।

क्या आपको लगता है कि पुलिस में महिलाओं की अधिक संख्या, महिलाओं द्वारा न्याय तक पहुँच बनाने में बढ़ोतरी करेगा?

अनुभव और कई अध्ययन, दर्शाते हैं कि यदि महिलाएं दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं तो उन्हें 'गंभीर मानसिक आघात पहुंचता है।' उपरोक्त के कारण महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाती हैं। उसके प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति के कारण वह हमेशा अपराध, दुर्व्यवहार, चोट की विस्तृत व्याख्या दूसरों से नहीं करना चहती हैं। इसके साथ वह पारंपरिक मान्यताएं भी मिल जाती हैं जिसके साथ वह बड़ी हुई है जिसमें उसके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के यौन शोषण के लिए हमेशा उसे ही ज़िम्मेदार माना जाता है। परिवार और परिवार के नज़दीकी लोगों द्वारा इस घटना को प्रायः छिपाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसे परिवार और लड़की दोनों के लिए धब्बा माना जाता है। परिणामस्वरूप, ऐसे संवेदनशील घटनाओं से निपटने के लिए महिला पुलिस एक महत्वपूर्ण ज़रूरत है। महिला पुलिस, जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले विभिन्न केसों से निपटने के लिए जो कुल अपराध का ५० प्रतिशत होता है, विशेष रूप से प्रशिक्षित हों तो ऐसे दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को न्याय सुनिश्चित कराने में सहायता करती हैं। अपराध की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि केवल एक अपराध की शिकार को संभालने के लिए प्रशिक्षित महिला ही इसे निपटने में सक्षम होती है। इसलिए यह अनिवार्य है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए, विशेषकर दुर्व्यवहार से संबंधित केसों के लिए आनुपातिक संख्या में बल में महिलाओं को सम्मिलित किया जाए। महिला पुलिस को विशेष रूप से भारत के ग्रामीण

क्या आपके विचार में भारत में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए की जा रही हैं कोशिशें पर्याप्त हैं?

किसी भी चीज़ को उचित रूप से सफ़ल होने के लिए आपके पास राजनैतिक ईच्छाशक्ति स्पष्ट होनी चाहिए। और १ साल, २ साल के बाद उस राजनैतिक ईच्छाशक्ति को आँकड़ों के रूप में या उन लोगों की संतुष्टि के रूप में परिवर्तित होना चाहिए जिनकी वह बल में भर्ती करते हैं। अब, हमने कितने वर्ष पहले यह कहा था कि बल में अधिक महिलाएं होनी चाहिए और आज वास्तव में उनकी संख्या कितनी हैं? यह, स्वंय ही राजनैतिक ईच्छाशक्ति की सत्यता और पुलिस के कार्यप्रदर्शन की व्याख्या करता है।

एक महिला का बल में स्वागत करने के लिए लिए यह नहीं होना चाहिए कि उसे पुलिस बल में शामिल होना है तो मर्द बनना होगा, बल्कि पुलिस बल को ही यह समझना होगा कि वह जैविक रूप से अलग इंसानों के साथ काम कर रही है और उन्हें उसी रूप में स्वीकारने के लिए स्वंय को व्यवस्थित करें। जब जैविक रूप से एक अलग प्रकार का व्यक्ति बल में आता है तो आपको यह व्यवस्था करनी होगी कि उसे संघटित होने में आसानी हो। अब आप यदि यह कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए विशेष प्रबंध क्यों करें? बेशक आप केवल महिलाओं के लिए ऐसा न करें बल्कि कोई भी जैविक रूप से भिन्न व्यक्ति हो जैसे कोई जनजातीय व्यक्ति है और उसकी लंबाई केवल ५ फुट ३ इंच है तो आप वहां ६ फुट की शर्त नहीं रख सकते, आपको उसे भी शामिल करने के लिए प्रबंध करना होगा। अगर किसी अलग धर्म का व्यक्ति आए तो उसे भी ऐसा महसूस हो कि वहां उसके लिए भी समान स्थान उपलब्ध है। विविधता एक ऐसा आदर्श है जिसे पुलिस को आवश्यक रूप से अपनाना चाहिए और इसका अर्थ यह नहीं है कि आप केवल कागज़ पर ऐसा लिख दें बल्कि व्यावहारिक रूप में इसे पुलिस में संयोजित करना चाहिए। हां, इसके लिए पुलिसिंग की गुणवत्ता में कोई कमी न आए इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन, १२० करोड़ लोगों के देश में गुणवत्ता की कमी हो ऐसा नहीं है।

इसी संदर्भ में, क्या आपके विचार में हमारे दक्षिणी एशियाई पड़ोसी देशों द्वारा अधिक महिलाओं को बल में शामिल करने की कोशिश भारत से अधिक हो रही है?

आप तुलना मत कीजिए क्योंकि अलग अलग माहौल में अलग–अलग तरीके हैं जिसमें सभी लोग काम कर रहे हैं। अब मालदीव एक बहुत छोटा देश है जिसके कारण उसे एक तरह से बहुत फ़ायदा है वह नए परिवर्तन कर पा रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान और बंगलादेश में यह संस्था काफ़ी पुरानी है और उनका सारा वातावारण पैतृक है, जिस कारण उन्हें महिलाओं की संख्या बढ़ाने में कठिनाई हो रही है। फिर, शायद वो लोग यह भी सोचते हैं कि हम जिन महिलाओं को बल में शामिल कर रहे हैं उनको सुरक्षित कैसे रखें। लेकिन, यहां मुर्गी और अंडे वाली बात है जब तक वे करेंगे नहीं उन्हें मालूम नहीं होगा कि वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है।

बंगलादेश में उन्होंने पूरा एक ढ़ांचा बनाया हुआ है लेकिन वह उसका कार्यान्वयन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक विरोध हो रहा है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समझ लिया गया है कि पूरी संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है।

जैसा कि आपने कहा कि पड़ोसी देशों में महिलाओं को बल में कम होने का एक कारण उन महिलाओं को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी भी हो सकती है। भारत में आप बल में महिलाओं की सुरक्षा को किस रूप में देखती हैं, क्या उन्हें उचित संरक्षण प्राप्त है। प्रायः वरिष्ठ अधिकारियों/सहकर्मियों द्वारा यौन प्रहार के रिपोर्टें आती रहती हैं?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप महिला पुलिस को किससे सुरक्षित रखने की बात कर रही हैं – आंतरिक रूप से

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो–३९

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड में, पिछले कुछ महीनों से किसी ख़ास विषय पर केन्द्रित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, इस बार हम आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, २०१३ के अंतर्गत 'महिलाओं' से संबंधित प्रावधानों में से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं और २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. किसी महिला पर तेज़ाब फेंकने का प्रयत्न करने वाले को क्या दण्ड दिया जा सकता है, यदि किसी तरह महिला पर न गिर कर तेज़ाब ज़मीन पर गिर गया हो?

२. क्या छेड़छाड़ की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा सकती है? यदि 'हां' किस प्रावधान के अंतर्गत?

३. किसी बच्चे के अनैतिक व्यापार के केस की सुनवाई किस अदालत में की जाएगी? क्या इसके आरोपी को थाने से ज़मानत मिल सकती है?

४. क्या पति द्वारा बलात्कार की शिकायत महिला के परिवार वालों द्वारा दर्ज कराई जा सकती है?

५. सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को क्या दण्ड दिया जा सकता है?

बूझो और जीतो – ३६ का परिणाम

दिसंबर २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :–

१. द.प्र.सं. की धारा ४१६ के अनुसार कसी गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान मृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता है। बल्कि उच्च न्यायलय उसके दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करेगा।

२. नहीं, द.प्र.सं. की धारा ५०(२) के अनुसार किसी महिला की शारीरिक तलाशी लेना यदि आवश्यक हो तो वह केवल किसी महिला द्वारा ही शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए लिया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिस किसी आम महिला की सहायता भी ले सकती है।

३. नहीं, किसी महिला को एक पुरुष के साथ किसी भी परिस्थिति में कैद में नहीं रखा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने *शीला बर्से बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस* में आदेश दिया है कि पुलिस का यह दायित्व है कि वह गिरफ़्तार महिला को पुरुषों से अलग रखे। यदि थाने में महिला लॉक–अप नहीं है तो महिला आरोपी को अलग कमरे में रखा जाए।

४. नहीं, द.प्र.सं. की धारा १६१(२) के प्रतिबंध के अनुसार किसी भी महिला का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्वंय उनके निवास स्थान पर आएगी। साथ ही, संहिता की धारा १५४(१) के प्रतिबंध (क) में यह भी कहा गया है कि यदि बलात्कार पीड़िता का ही बयान दर्ज करना हो और वह किसी भी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण थाने नहीं आ सकती हो तो, महिला पुलिस उसके निवास स्थान या उसकी पसंद के किसी स्थान पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करेगी।

५. नहीं किसी बलत्कार के केस की कार्यवाही द.प्र.सं. की धारा ३२७(२) के अनुसार 'बंद कमरे की कार्यवाही' होती है और इसमें आम व्यक्ति को उपस्थित रहने की आज्ञा नहीं होती है।

विजेता

इस बार बुझो और जीतो–३६ के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में हमें किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंजिल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–१६
फ़ोन: ९१ ११ ४३१२०८००, ४३१८०२२१
फ़ैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई–मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के दुर्व्यवहार की विशिष्ट प्रकृति के केसों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए वे दूरस्थ गांवों तक पहुँचने में समर्थ होनी चाहिए। पुलिस बल में अधिक से अधिक महिलाओं की मौजूदगी एक निवारक के रूप में भी काम करने में सहायक होगी।

क्या आपको लगता है कि कानून को, पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और महिलाओं के लिए न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है?

दिसंबर २०१२ में दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ हुए भयंकर बलात्कार की घटना के बाद, सरकार ने कानून में संशोधन करके महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को परिभाषित किया जो पहले महिलाओं के शील भंग करने जैसे व्यापक दायरे में परिभाषित किया जाता था। यौन प्रताड़ना के दौरान विभिन्न प्रकार की बर्बता को शामिल करने के लिए बलात्कार को भी परिभाषित किया गया। स्टॉकिंग, दर्शनरति, यौन प्रताड़ना, अति निकृष्ट यौन प्रताड़ना, तेज़ाब से हमला को भी विधिक शब्दावलि में सम्मिलित किया गया है। बलात्कार के कारण मृत्यु, बलात्कार के कारण पीड़िता को निष्क्रीय अवस्था में पहुंचाना, सामूहिक बलात्कार, एक सिद्धदोषी द्वारा बलात्कार, हिरासत में बलात्कार, सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बलात्कार आदि की भी गिनती की गई है। अब बढ़े हुए दण्ड का प्रावधान है। प्रक्रियात्मक रूप से अब यह अनिवार्य है कि महिला के विरुद्ध अपराध की एफ.आई.आर. महिला पुलिस दर्ज करे, एफ.आई.आर. दर्ज करने की भी वीडियोग्राफी की जाए, जाचं के दौरान महिला ही बयान दर्ज करे, पीड़िता को परामर्श और पैरा लीगल सलाह प्रदान करे और पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए ले जाए और बयान के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। एक महिला पुलिस अधिकारी को महिला पीड़ित के दर्द को सुनने और सभी विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि पीड़िता को अपनी व्यथा किसी पुरुष अधिकारी को सुनाने में शर्मिंदगी न महसूस हो। इससे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है।

पुलिस में महिलाओं की भूमिका के बारे में यदि आप कोई विशेष विचार व्यक्त करना चाहें?

हमें एक समाज के रूप में यह सुनिश्चित करना चाहिए की इस राष्ट्र की महिलाएं अपने सीमांत में स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। हम उस देश के लोग हैं जिन्होंने स्वंय को भारत के संविधान को समर्पित कर दिया है और इसकी शपथ लेते हैं, इसलिए देश की महिलाओं के लिए शाब्दिक और वैचारिक रूप में वास्तविकता बनानी चाहिए जो आज भी समानता और किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर शोषण के भय से स्वतंत्र होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके लिए हमें महिला पुलिस बल को मज़बूत करना होगा, उसी समय समस्त पुलिस बल में वैचारिक परिवर्तन लाने के लिए भी उचित कदम उठाने होंगे, ताकि वह हमें एक संवेदी, समझदार और व्यवसायिक बल प्रदान करें। वांक्षित परिवर्तन लाने के लिए शायद इस राष्ट्र के लिए पुलिस में उचित सुधार लाने की आवश्यकता को महसूस करने का यह उचित समय है।

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

या जनता/समुदाय से। आंतरिक स्तर पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पहला कदम है कठोर और स्पष्ट नीति जिसके बारे में सबको जानकारी हो। आपको एक निर्णय लेना होगा कि अपने बल में आप इस चीज़ को कदापि सहन नहीं करेंगे और यह निर्णय लिखित रूप में होना चाहिए। एक ऐसी नीति जो स्वीकृत हो और चाहे वह आंतरिक उपयोग के लिए हो फिर भी यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो और बल में शीर्ष से लेकर तले तक सबको इसकी जानकारी हो कि या तो आप इसे अपनायेंगे या फिर इसकी अवहेलना के लिए उक्त दण्ड पाएंगे। इसके अलावा, पूरी कार्य संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि नीतियों से विचार नहीं बदलते उसे तो स्वयं बदलना होता है। जैसे *विशाखा दिशा-निर्देश* है, आप केवल उसे दीवारों पर टांग कर माहौल नहीं बदल सकते। पुलिस को अपनी संस्कृति बदलने की आवश्यकता है। पुलिस यह नहीं कह सकती कि पुलिस भी जनता का ही अंश है, जैसी जनता होगी वैसी ही पुलिस भी होगी। बल्कि, पुलिस की संस्कृति को जनता से अलग रखना होगा। पुलिस का केवल यह काम है कि कानून का पालन करे और उसे लागू करने वाली एजेंसी के रूप में स्वंय को परिवर्तित करे। अंततः उसे वर्दी और वेतन इसी के लिए प्राप्त हो रहा है।

जब तक पुलिस बल में महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के प्रति पारस्परिक सम्मान और आदर का भाव नहीं रखेंगे और यह नहीं समझेंगे कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं तो वातावरण सहज नहीं बनेगा। इसके लिए, जिस प्रकार कारपोरेट कार्यालयों में हज़ारों की संख्या में महिलाएं काम करती हैं लेकिन सबको उनके साथ किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न के सख़्त परिणाम की जानकारी होती है जिस कारण वह सहजता से अपना काम कर पाती हैं। इसलिए, किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में स्पष्ट परिणाम का होना बल में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेहद आवश्यक है।

तथ्य एंव आँकड़े

देश भर में केसों की संख्या

	अपहरण	बलात्कार
२०१४	३८,६०७	३०,१३६
२०१३	५१,८८१	३३,७०७
२०१२	३८,२६२	२४,६३२
२०११	३५,५६५	२४,२०६
कुल	१,६४,६१५	१,१२,६८१
२०१३ में अपराधसिद्धि दर ५ : था।		२०१३ में अपराधसिद्धि दर १५ : था।

सौजन्यः न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १ मार्च २०१५

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

यह क्यों होता है?

महिलाओं का यौन शोषण केवल आरोपी के द्वारा नहीं होता है, बल्कि वह तब भी शोशित होती हे। जब वह इसकी शिकायत कराने जाती है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं।

मध्य प्रदेश के खांडवा ज़िले के मोघट थाने में एक महिला कांस्टेबल के साथ थाना इंचार्ज रविन्द्र यादव ने १४ फरवरी को कामुकतापूर्ण छेड़छाड़ किया जिसे एक दिन पहले ही उस थाने से हस्तांतरित कर दिया गया था।

३० वर्षीय महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि जब वह शाम को घर के लिए निकल रही थी तब यादव ने थाने के एक कमरे में उसे बुलाया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके उसके साथ बदतमीज़ी की हालांकि, उसने उसे रोकने का भी प्रयत्न किया जो व्यर्थ गया। महिला थाने की जांच अधिकारी सुनीता रावत ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यादव उसे कुछ समय से यातना दे रहा था और उस दिन उसके साथ छेड़खानी की तब उसके भाई ने उसे वहां से बचाया। हालांकि, ४० वर्षीय यादव को एक दिन पहले ही हस्तांतरित कर दिया गया था लेकिन कुछ कार्यों को निपटाने के बहाने से वह उस दिन वहां ठहर गया था। क्योंकि, यादव के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि हस्तांतरण के बाद वह तुरंत जगह ख़ाली कर देता।

जांच अधिकारी के अनुसार उन्होंने पीड़िता, उसके भाई और एक अन्य महिला का बयान दर्ज कर लिया था और द.प्र.सं. की धारा १६४ के अंतर्गत पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाना था केवल तभी यादव के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। पीड़िता जिसकी दो बेटियां हैं, उसे यह नौकरी उसके पति की मृत्यु के बाद सहानुभूति के आधार पर प्राप्त हुई थी। पुलिस ने यादव के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलंब किया लेकिन परिवारजनों और स्थानीय लोगों तथा आम आदमी पार्टी के सदस्यों द्वारा थाने के बाहर प्रदर्शन करने पर उसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर लिया गया।

सहकर्मियों द्वारा यौन हिंसा की शिकायत पर महिला पुलिस की आंतरिक स्तर पर उचित रूप से सुनवाई और कार्यवाही पहला क़दम है!

एक अन्य घटना में एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी के बाद शिक्षक स्कूल में शराब पीकर आता है। एक अन्य घटना में एक लड़के ने युवती की फोटो को किसी अश्लील फोटो में जोड़कर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गई तो थाना प्रभारी ने कहा 'तुम सभी लड़कियां इसी प्रकार की हो।' अर्थात् जिसने उस लड़की की अश्लील फोटो बनाई उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के बजाय उसे शिकायत करने आना भी गवारा नहीं।

एक अन्य घटना में महाराष्ट्र के ए.डी.जी. स्तर के आई.पी.एस. अधिकारी के विरुद्ध उनकी एक ३२ वर्षीय महिला कर्मचारी ने कोलाबा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि १७ फरवरी को उसके बॉस ने दक्षिणी मुंबई के उनके ऑफिस में ज़बरदस्ती उसे स्पर्श किया। महिला एक विधवा है। उसने यह भी कहा कि कुछ दिन पहने उन्होंने उसके वैवाहिक स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछा था और उसके बाद उससे बात करने के लिए फोन भी किया था।

इस केस में पुलिस एफ.आई.आर. दर्ज करने के पहले महिला के शिकायत की सत्यता की जांच कर रही है कि कहीं महिला के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही तो नहीं की गई थी जिसको प्रतिशोध लेने के लिए महिला ने अधिकारी पर आरोप लगाया है।

महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की तकलीफ़ से कहीं मानसिक उत्पीड़न का शिकार महिलाएं तब बनती हैं जब वह इसकी शिकायत पुलिस के पास करने जाती हैं। पुलिस का संदेहजनक बर्ताव लगभग ऐसे प्रत्येक केस में हाता है और अगर शिकायत पुलिस के विरुद्ध हो तो, पुलिस की नकारात्मक बर्ताव का क्या कहना।

उपरोक्त सभी केसों में पुलिस अपने दायित्वों से बचती रही—जहां उत्पीड़क शिक्षक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३५४, ३५४ क तथा ब्लैकमेल करने वाले लड़के के विरुद्ध धारा ५०६ के विरुद्ध शिकायत दर्ज करके जांच शुरू करनी चाहिए थी, वहीं पुलिस शिकायतकर्ता को ही अपमानित करने का प्रयत्न करने लगी।

जो पुलिस आम जनता के यौन शोषण की शिकायत नहीं दर्ज करना चाहती वह अपने ही विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करेगी, ऐसी आशा करना ही शायद गलत है। जबकि दोनों महिलाएं जिनका यौन शोषण उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था, वह महिलाएं न केवल एफ.आई.आर. दर्ज करा सकती थीं बल्कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण, अधिनियम २०१३ की धारा ६ के अंतर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के पास भी शिकायत कर सकती है। लेकिन, आरोप की जांच के बजाय पीड़ित महिला की ही जांच की जाती है। आख़िर ऐसा क्यों होता है?

— ज़ीनत मलिक

(सौजन्य : एन.डी.टी.वी. न्यूज़ रिपोर्ट, १५ फरवरी तथा इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १६ फरवरी, २०१५)

नोट — जब आप अपने आस—पास ऐसी घटनाएं देखते हैं जहां आपके वरिष्ठ अधिकारी ही कानून के परे बातें करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ अवश्य बाँटें।

क्या आप जानते हैं?

इस भाग के अंतर्गत, २४-२८ फरवरी २०१४ को गुहाटी में आयोजित "छठे पुलिस में महिलाओं के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस" में दी गई सिफ़ारिशों को पाठकों की सूचना के लिए ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है।

सिफ़ारिशें

१. विषय : व्यवसायिकता और क्षमता निर्माण

(i) गत समय में पुलिसिंग के मूल कार्यों में महिलाओं के सीमित अनावरण को ध्यान में रखते हुए – फौरेंसिक, आई.टी./कंप्यूटर, परामर्श देना, विशेष अपराधों जैसे घरेलु हिंसा, यौन उत्पीड़न, किशोर, मानव तस्करी की जांच और सुराग एकत्रित करने पर उनका विशेष क्षमता निर्माण।

(ii) समता स्थापित करने के लिए विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना – करियर नियोजन (चयनित अधिकारियों को ५ वर्ष की स्थिर/ऑफिस ड्यूटी)। ऐथ्लेटिक फेडरेशन/खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नियमों के अनुसार अलग शारीरिक मानदण्ड, आत्म शिक्षा और ऊँची शिक्षा, विशेष विश्राम गृह, शौचालय और शिशु सदन।

(iii) महिलाओं के लिए नॉडल अफ़सर – उचित स्तरीय वरिष्ठ, महिलाओं से संबंधित अवसरों की सूचना के प्रसार और परामर्श, सिफ़ारिशों और ए.टी.आर. पर आगे की कार्यवाही करना, कल्याण, लेखा परीक्षण और नीतियों के लिए सुझाव देना।

(iv) पुलिस में महिलाओं के क्षमता निर्माण के लिए और अवसंरचना के विकास के लिए १४वें वित्त आयोग और प्लान फंड और आधुनिकीकरण अनुदान आवंटित किया जा सकता है।

२. विषय : सोच में बदलाव

(I) सभी पदों के लिए लिंग के आधार पर न होकर खुली भर्ती हो जिसमें नियम के अनुसार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग शारीरिक मानदण्ड हों, न्यूनतम भाग पूरा किया जा सकता है

(ii) यौन उत्पीड़न के लिए व्यवस्था को सशक्त करना और निगरानी करना

(iii) सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के लिए बुनियादी एंव अन्य जेन्डर संवेदी प्रशिक्षण

(iv) समान करियर के अवसर।

३. विषय : समाज की अपेक्षाओं को पूरा करना

(i) महिलाओं की सुरक्षा के लिए जनता की अपेक्षाएं और विधिक आवश्यकताओं को पूरा करना :

- सभी थानों में २ महिला एस.आई. और ४ कांस्टेबलों और मध्यम स्तरीय महिला कर्मचारियों को मिलाकर १० कर्मचारियों को तैनात किया जाए,
- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के लिए कानून और जांच में प्रशिक्षण।
- एस.आई. स्तर पर अधिक महिलाओं की भर्ती।
- मीडिया को संभालने के बारे में प्रशिक्षण।
- सभी पुलिस स्तरों के लिए जेन्डर संवेदी प्रशिक्षण।

(ii) महिला पुलिस से जनता की शिष्टता और सहानुभूति की अपेक्षा को पूरा करने के लिए:

- संवाद कौशल में प्रशिक्षण
- विरोध प्रबंधन में प्रशिक्षण

४. विषय : पुलिस में अधिक महिलाओं का प्रवेशण

(i) भारत के ऐथ्लेटिक फेडरेशन/एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुसार सभी राज्यों में महिलाओं की विशेष भर्ती अभियान।

(ii) सभी राज्यों में १०% प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए समय सीमा २ वर्ष और ३०% प्रतिनिधित्व के लिए समय सीमा १० वर्ष है।

(iii) पुलिस के आवास में आनुपातिक आरक्षण।

(iv) सहायता व्यवस्था जैसे कि शिशु सदन और बाल देख रेख सुविधाओं को अनिवार्यतः स्थापित किया जाना चाहिए, पुलिस लाईन और बटालियन/युनिट मुख्यालय में कम से कम एक अवश्य होना चाहिए।

(v) केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार मातृत्व और बच्चों के देखभाल अवकाश का सभी राज्यों द्वारा मानकीकरण किया जाना चाहिए।

(vi) महिलाओं के उपयोग के लिए उनकी संख्या के अनुपात के अनुसार अवसंरचना, उपकरण और फर्नीचरों का अनुकूलन।

(vii) सुरक्षित वातावरण, अवसंरचना और नीतियां उपलब्ध कराकर प्रशिक्षित महिलाओं को रोक कर रखने पर प्राथमिकता होनी चाहिए।

(viii) महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जेन्डर के अनुसार न्यायसंगत बजट आवंटन होना चाहिए।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादिका जी,

महिला दिवस की बधाई!

दरअसल, हमारे जैसी महिला पुलिस अधिकारियों के लिए दिल्ली के कमिश्नर साहब ने ६ मार्च को महिला दिवस समारोह के अवसर पर एक विशेष घोषणा की है जो हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं। इसके लिए हम लोग कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे। घोषणा यह की गई है कि ४५ महिला उप निरीक्षकों (एस.आई) को पदोन्नति दी जाएगी और उन्हें निरीक्षक का पद दिया जाएगा। यहां ध्यान योग्य बात यह है कि यह महिला एस.आई. दिल्ली पुलिस में एक ही रैंक पर २०-२२ सालों से कार्यरत हैं और अब तक पदोन्नति से उन्हें वंचित रखा गया था। जबकि, पदोन्नति दूसरे स्तरों पर की गई थी। ए.एस.आई. से एस.आई स्तर पर और यहां तक कि हमारे जूनियर पुरूष अधिकारियों को प्रोमोशन देकर इंस्पेक्टर बना दिया गया था पर महिला एस.आई. को आगे पदोन्नति नहीं दी गई थी। कई बार अपने बाद आए अधिकारियों के अधीन उनके अधिनस्थ के रूप में भी काम करना पड़ा। ऐसे में हमारा मनोबल कैसा होगा यह विचारणीय है।

अभी इस घोषणा से हमारा मनोबल काफ़ी बढ़ा है लेकिन, वास्तविक प्रसन्नता और संतुष्टि तो इस घोषणा के कार्यान्वयन के बाद ही होगी। हम आशा और निवेदन करते हैं कि इसे अति शीघ्र कार्यान्वित किया जाए और महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने और उनकी जांच में हमें सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया जाए।

धन्यवाद!

महिला एस.आई.

दिल्ली पुलिस

दक्षिणी एशिया में महिला पुलिस – शीघ्र आने वाली अध्ययन रिपोर्ट

पुलिस सुधार पर लगातार जारी रहने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.), *"दक्षिणी एशिया में महिला पुलिस"* पर एक अध्ययन पूरा करने वाली है जिसमें भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान और मालदीव्स को सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय रिपोर्ट, जो जून २०१५ में प्रकाशित की जाएगी पुलिस में महिलाओं के स्तर को देखती है जिसमें सभी रैंक पर उनकी वर्तमान संख्या, भूमिका और शक्तियां और उनके अनुभव जिसमें विभागीय भेद–भाव भी शामिल हैं, की जांच करती है। इसके अलावा इस अध्ययन में पुलिस विभाग में जेन्डर अनुपात में सुधार के लिए नीतिगत उपायों को भी सम्मिलित किया गया है।

चारों देशों में, मालदीव्स में पुलिस में महिलाओं का सबसे अधिक १०% प्रतिनिधित्व है (२०१३, मालदीव्स पुलिस), इसके बाद भारत ६.११% (२०१४, बी.पी.आर.एण्ड डी.), बंगलादेश ४.६३% (२०१३, बंगलादेश पुलिस) और पाकिस्तान में १% से कम (२०१३, नेशनल पुलिस ब्यूरो)।

वर्तमान में, सभी क्षेत्रों में मुख्य नीतिगत प्राथमिकता पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है। भारत सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों के लिए ३३% महिला पुलिस के प्रतिनिधित्व तथा प्रत्येक थाने में ३ एस.आई. तथा १० महिला पुलिस कांस्टेबलों को रखने का लक्ष्य रखा है ताकि महिला डेस्क पर २४ घंटे महिला अधिकारी की उपस्थिति बनी रही। इस टारगेट को पूरा करने के लिए, दूसरे उपायों के अलावा, कई राज्यों में जारी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर स्तर पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग कैडर की नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस टारगेट को कैसे पुरा किया जाना है इसके लिए सभी राज्यों द्वारा एक कार्य–योजना भी तैयार करने की आवश्यकता है। बंगलादेश और पाकिस्तान में इस कार्य–योजना की प्रक्रिया जारी है। दोनों देश, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता से अपने पुलिस बल के लिए जेन्डर नीति तैयार करने की प्रक्रिया में व्यस्त हैं। बंगलादेश में इस नीति का मसौदा पहले से ही तैयार है जिसमें महिला पुलिस के १० प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए १० वर्षों तक एक कोटा सिस्टम, महिलाओं की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सब इंस्पेक्टर स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान, इंटरव्यू बोर्ड में महिला पुलिस की उपस्थिति को सुनिश्चित करने पर पुनर्विचार करने और महिला पुलिस के लिए लचीले हस्तांतरण नीति अपनाने का वादा किया गया है। अब विशिष्ट सरकारों के लिए शेष यह रहता है कि वह इन नीतियों को औपचारिक रूप से अपनायें जो दोनों देशों में महिला पुलिस को अति आवश्यक प्रोत्साहन और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

मालदीव्स पुलिस एक बहुत नई संस्था है जो २००४ में ही मिलिट्री से अलग हुई है। बढ़ते हुए बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मालदीव्स पुलिस सक्रियता से महिलाओं को संस्था में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसने हाल ही में वरिष्ठ स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए महिला अधिकारियों की पदोन्नति को फास्ट ट्रैक किया था तथा अधिक महिलाओं को बल में प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में जागरुकता शिविर लगा रही है।

यह रिपोर्ट, विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों और कठिनाईयों की भी जांच करता है और यदि महिलाओं को पुलिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है तो भर्ती, हस्तांतरण, पदोन्नति, नियुक्तियों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण अधिदेश से संबंधित संगठनात्मक और नीति परिवर्तन पर सिफ़ारिश करता है। जहां प्रत्येक देश में परिस्थितियाँ भिन्न हैं, सभी प्रांतों में एक आम विशिष्टता है – वरिष्ठ और नेतृत्व स्तरों पर महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व। अधिकांश महिलाएं कांस्टेबुलरी स्तर पर हैं। पुलिसिंग को 'मर्दाना कार्य' माना जाता है और यह बार–बार दोहराया गया है कि किस प्रकार उनकी संख्या के कारण उन्हें अपनी पहचान बनाने और गंभीरता से लिये जाने के लिए दुगुनी मेहनत करनी पड़ती है और वे हमेशा 'पुरुषों के समान' व्यवहार करने के दबाव तले दबी होती हैं। इस प्रकार की मानसिकता का प्रभाव आगे महिलाओं को किस प्रकार की नियुक्ति दी जाएगी इसे भी प्रभावित करती है। महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों में भेद–भाव का दर्द सभी क्षेत्रों की महिलाओं ने सामान्य रूप से बांटा।

अंत में, महिलाएं उचित सुविधाओं की कमी को भी भुगत रही हैं विशेषकर थानों में अलग विश्राम कक्ष और वॉशरूम उपलब्ध न होना।

यह कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो इस अध्ययन से निकले हैं। जब यह रिपोर्ट जून २०१५ में प्रकाशित हो जाएगी तो हम आपसे सहर्ष इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि बांटना चाहेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए *लोक पुलिस*, संपादिका ज़ीनत मलिक से संपर्क करें।

– देवयानी श्रीवास्तव

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

त्रिपुरा : महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी

त्रिपुरा सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर एक तिहाई करने की घोषणा की है। इस प्रदेश में, वर्तमान समय में भी महिला पुलिस की भागीदारी का प्रतिशत अन्य स्थानों से बेहतर है – प्रदेश पुलिस में कुल कांस्टेबलों का १३ प्रतिशत भाग महिला कांस्टेबल का है तथा बल में महिलाओं की भागीदारी कुल १० प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री अजीत सरकार ने ३०० नई भर्ती महिला कांस्टेबलों की पासिंग आऊट परेड में कहा, "हमारी सरकार का उद्देश्य महिलाओं के प्रतिशत को बढ़ाकर ३०% करना है। ...१५ वर्ष पहले, पुलिस बल में केवल २% महिलाएं थीं। महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बल में महिला पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है।" इन ३०० महिला कांस्टेबलों को, अगरतला से १५ कि.मी. दूर नरसिंहगढ़ में स्थित के.टी.डी. सिंह पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में ३६ सप्ताह के अंतराल में १८ विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के विषयों में ऐंटी इनसर्जेन्सी, आपदा प्रबंधन और मानव अधिकार जैसे विषय सम्मिलित किये गये थे।

इन महिला कांस्टेबलों (आयु१८-२७) में, ८६ जनजातीय, ३३ ग्रेजुएट एंव पोस्ट ग्रेजुएट महिलाएं थीं जबकि पद के लिए आवश्यक योग्यता केवल ८वीं या १०वीं पास है। बल में निचले स्तर पर शिक्षित महिला पुलिसकर्मियों से अवश्य ही बल को दोहरा लाभ होगा– महिला केन्द्रित मामलों से निपटने में और पुलिस के साकारात्मक आचरण और व्यवहार से जनता में विश्वास उत्पन्न होगा।

भर्ती में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी से निःसंदेह ही किसी भी राज्य के पुलिस की छवि अधिक मानवीय बनती है और जनता में, विशेषकर महिलाओं और वृद्धों का बल में विश्वास बढ़ता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पुलिस बल और राज्य सरकारों को बहुमुखी कदम उठाने की आवश्यकता है। शायद इसी लिए त्रिपुरा में, ४ समस्त महिला थानों की स्थापना की गई है तथा ५ और समस्त महिला थाने की स्थापना शीघ्र ही करने का आश्वासन भी दिया गया है।

(सौजन्य : इन डॉट न्यूज याहू डॉट कॉम, १६ फरवरी २०१५)

दिल्ली पुलिस : महिलाओं को सुरक्षा तकनीकों का उपहार

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ओर एक कदम बढ़ाते हुए पहले १ जनवरी को 'हिम्मत मोबाईल ऐप' लॉन्च किया गया था, जिसे ऐंड्रॉड ऐप्लीकेशन का उपयोग करने वाली महिलाएं अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकती हैं। इसके अंतर्गत परेशानी में घिरी पुलिस और अपने परिजनों को अपने स्थिति की जानकारी पहुंचा सकती है। दिल्ली पुलिस के 'हिम्मत मोबाईल ऐप' को अब तक ३० हज़ार महिलाओं ने डाऊनलोड किया है और ५,३६० महिलाएं दिल्ली पुलिस के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं।

इसकी सफ़लता से प्रोत्साहित होकर २५ फरवरी २०१५ को दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस के पूर्व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक और तकनीकी उपहार दिल्ली पुलिस ने दिया।

इसके अंतर्गत महिलाएं अब जिस ऑटो या टैक्सी में सवार हो रही हैं उसकी फोटो भी 'हिम्मत व्हाट्स ऐप' और 'हाईक मैसेंजर' ग्रूप (हाईक, स्मार्ट फोन में एक ऐसा प्लेटफार्म है जो तुरंत सूचना भेजने के लिए इंटरनेट का उपयोग करता है) को ८८००००१०६१ नंबर पर भेज सकेंगी।

इन दोनों में से किसी पर भी भेजा गया मैसेज पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचेगा और इसे वहां एक सप्ताह तक संभाल कर रखा जाएगा। ग्रूप को किसी प्रकार की आपातकालीन स्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत कार्यवाही करेगी।

दिल्ली के कमिश्नर बस्सी ने ऐप को लॉन्च करते हुए कहा, "इसे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की दिल्ली पुलिस की कर्तव्यबद्धता को सुदृढ़ बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। हिम्मत व्हाट्स ऐप ग्रूप और हाईक ग्रूप को बनाया गया है ताकि दिल्ली में कहीं भी यात्रा करते समय महिलाओं का आत्म विश्वास बना रहे।"

कमिश्नर साहब! क्या बुनियादी फ़ोन वालों के लिए भी कोई योजना है – सुरक्षा तो सभी की आवश्यकता है?

उनके अनुसार महिलाओं को पुलिस के व्हाट्स ऐप नंबर को अपने ऐंड्रॉड फ़ोन में जोड़ना होगा और एक छोटा से फॉर्म भरना होगा और जहां से वह वाहन ले रही हैं, उस वाहन के फोटो के साथ उक्त नंबर पर भेजना होगा। महिलाएं चाहें तो यात्रा के बारे में और सूचना भी जोड़ सकती हैं। अगर आवश्यकता हो तो महिलाएं परेशानी के समय इस ग्रूप को मैसेज भी भेज सकेंगी।

इसे पी.ए.–१०० (कंट्रोल रूम) से भी संकलित किया जाएगा ताकि इमरजेंसी की सूचना मिलने पर सबसे नज़दीकी पी.सी.आर. वैन को वहां भेजा जा सके और मोबाईल पेट्रोलिंग वाहन को वहां भेजा जाएगा।

स्मार्ट फोन उपयोग करने वाली और विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए यह ऐप उपयोगी होगा, यह आशा की जा सकती है। लेकिन, कामकाजी और सुबह तड़के तथा देर रात को घर पहुंचने वाली महिलाएं वह भी हैं जिन्हें मध्यम और उच्च स्तरीय वर्ग का सेवा प्रदाता कहा जाता है, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं और स्मार्ट फोन रखने में वह सक्षम नहीं हैं। क्या दिल्ली पुलिस इन महिलाओं को भी ऐसी ही कोई सुविधा बुनियादी फोन में उपलब्ध करा पाएगी?

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २६ फरवरी २०१५)

निर्भया कोष : उत्तराखण्ड पुलिस के लिए अर्थहीन

वार्षिक बजट में निर्भया कोष की राशी को १००० करोड़ से बढ़ाकर २००० करोड़ करने की घोषणा का शायद अन्य राज्यों द्वारा स्वागत किया जाए पर उत्तराखण्ड पुलिस के लिए यह बेकार है क्योंकि प्रदेश पुलिस को इस कोष से अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। हालांकि, राज्य में १०६० महिला हेल्पलाईन चल रहे हैं पर महिला सुरक्षा के लिए दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है।

उत्तराखण्ड के डी.जी.पी. श्री बी.एस. सिद्धु ने कहा, "राज्य पुलिस अच्छी पुलिसिंग और महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रति बल को संवेदनशील बनाने के लिए जागरूक कर रही है। राज्य में कई प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाना है।"

पुलिस के अलावा, महिला शाखा भी अपराधों के बढ़ते ग्राफ़ को रोकने की कोशिश कर रही है। जनता में अपराधों के दर्ज कराने के बारे में जागरूकता के कारण महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रिपोर्ट सबसे अधिक है।

ए.एस.पी. महिला शाखा, ममता वोहरा के अनुसार, केसों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। अधिकांश केस साईबर अपराध और महिलाओं के विरूद्ध उत्पीड़न के होते हैं। पुलिस पीड़ितों को परामर्श देती हैं ताकि वह इस प्रकार के उत्पीड़न से प्रभावकारी रूप से निपट सकें।

केन्द्र सरकार ने देश भर में ६६० बलात्कार आपदा केन्द्रों का वादा किया है जिसे कथित रूप से कम करके केवल ३६ कर दिया गया है।

'निर्भया कोष' हो या कोई भी अन्य अनुदान पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्नचिन्ह लगाना जितना आसान है, संबंधित सरकारों या केन्द्र सरकार से उचित कार्यवाही न करने के लिए जवाब तलब करना आम जनता और पुलिस नेतृत्व दोनों के लिए ही लगभग असम्भव है। आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार बेहतर पुलिसिंग और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कर्तव्यबद्धता के मद्देनज़र तुरंत प्रदेश पुलिस को इस कोष की पूरी राशी प्रदान करे।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, १ मार्च २०१५)

महिला सुरक्षा पर कदम उठाने में सरकार विफल

जहां चाह न हो, वहां कभी भी उचित राह नहीं निकल सकती। यह कथन सरकार की दिल्ली की जनता को अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था न देने के बारे में १०० प्रतिशत सत्य मालूम पड़ती है। इसके कई कारण हैं, जैसे – वैसे तो दिल्ली पुलिस को पिछले वर्ष के बजट आवंटन में ४,६५३.१६ करोड़ रू. की तुलना में इस वर्ष ५,०२७.६८ करोड़ रू. दिये गये हैं ताकि वह निवासियों, विशेषकर महिलाओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण में सुधार करें, पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के लंबे वादों के विपरीत की महिला सुरक्षा उनकी प्रमुख चिंता है, यह जग जाहिर है कि उनमें से एक बड़ी संख्या वी.आई.पी. सुरक्षा पर तैनात रहती है। पर ऐसा पुलिस के कारण नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा पुलिस की संख्या न बढ़ाने तथा अन्य नीतिगत कारणों से है।

पिछले महीने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को महिलाओं को उचित सुरक्षा न उपलब्ध कराने के लिए फटकार लगाई थी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी.कैमरे (कैमरे) लगाए जाएं। यदि सरकार, ओबामा की सुरक्षा के लिए १५ हज़ार कैमरे रिकॉर्ड समय में किराये पर ले सकती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कैमरे क्यों नहीं लगवा सकती? यह भी सरकार की स्वीकृति न होने के कारण है।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस यह दावा करती है कि वह महिलाओं की सुरक्षा को युद्ध स्तर पर प्राथमिकता दे रही है और स्पेशल कमिश्नर, महिला सुरक्षा दीपक शर्मा ने पुलिस की योजनाओं की लंबी सूची का भी व्याख्यान किया कि ३,६३२ कैमरे – सीमा क्षेत्र और अदालत परिसरों को मिलाकर ८५ स्थानों पर लगाये हैं और सुरक्षित नगर परियोजना के अंतर्गत १३३ स्थानों पर ६,१६६ कैमरे लगवाने का प्रस्ताव है।

कैमरों के अलावा, शहर भर में ४०५ पेईंग गेस्ट निवासों का सुरक्षा आकलन किये जाने को भी पुलिस एक उपलब्धि बता रही है।

बसों में भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की विस्तृत योजना पुलिस द्वारा तैयार की गई थी। लेकिन, अब तक वे केवल २०० बसों में कैमरे लगवा सके हैं। सभी सार्वजनिक बसों और ऑटो में जी.पी.एस. लगाने की योजना भी अभी तक कागज़ों पर ही सीमित है। हालांकि, सभी नये ऑटो और बसों में जी.पी.एस. मशीनें लगा दी गई हैं लेकिन इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए न तो कंट्रोल रूम है और न ही ८५ लाख पंजीकृत वाहनों को मॉनीटर करने के लिए पर्याप्त ट्रांसपोर्ट अधिकारी।

पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में अक्षमता का एक और कारण है पी.सी.आर. वैनों की संख्या में कमी। दिल्ली में अनुमोदित वैनों की संख्या १००० है। इसमें से १५० वी.आई.पी. ड्यूटी पर लगे हुए हैं जबकि १६३ वाहन बेकार हो चुके हैं जबकि उन्हें बदलने का निवेदन गृह मंत्रालय की स्वीकृत की राह देख रहा है। अर्थात्, पुलिस के पास एक साल में ७३ लाख मामलों से निपटने के लिए केवल ६५७ पी.सी.आर. वैन मौजूद है।

जहां आम जनता की सुरक्षा की आवश्यकता के लिए कैमरे लगाने हों या बेकार वाहनों को बदल कर नये वाहनों की खरीदारी करनी हो तो सरकार की स्वीकृति लेने और फिर इसके लिए वित्तीय और मानवीय संसाधनों को आवंटित करने में महीनों और सालों लग जाते हैं। इसकी जवाबदेही सरकार पर है जिसे अपनी जनता को अच्छी पुलिसिंग और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर सम्भव उपाय युद्ध स्तर पर करना चाहिए।

(सौजन्य : न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, १ मार्च २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ६१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ६१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईटः http//www.humanrightsinitiative.org